श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 28.02.2025 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–35 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में एम0जी0एम0 कॉलेज एवं अस्पताल के नये भवन में जल की व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल चालू नहीं हो रहा है;	नवनिर्मित अस्पताल में पानी आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था के तहत एल0 एण्ड टी0 के द्वारा जल की व्यवस्था की गयी है। पूराने अस्पताल साकची का निमार्ण कार्य प्रगति पर है, फलस्वरूप मरीज हित में मात्र कुछ विभागों के ओ0पी0डी0 का संचालन अस्थायी एवं प्रयोगात्मक रूप से नवनिर्मित अस्पताल, मानगो में किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड की अनुमति लिए बिना यहाँ भूमिगत जल का नियम विरुद्ध उपयोग हो रहा है और प्रस्तावित 10 डीप बोरिंग में से 5 डीप बोरिंग स्थापित किये जा चुके है;	नवनिर्मित अस्पताल में पानी आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था के तहत एल0एण्ड टी0 के द्वारा बोरिंग कराया गया है। नवनिर्मित अस्पताल मानगों में पानी की स्थायी उपलब्धता के लिए मानगों नगर निगम को एकमुस्त राशि कुल रू0 4,27,60,680.00(चार करोड़ सताईस लाख साठ हजार छः सौ अस्सी) दिनांक 26.06.2023 को उपलब्ध कराया जा चुका है तथा कार्य प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि नए भवन के परिचालन की अनुमति लिए बिना इसमें कतिपय विभागों की ओपीडी सेवा अक्टूबर 2024 से ही आरम्भ है और पुराने एम0जी0एम0 अस्पताल को नए भवन में स्थानांतरित करने के लिए विभागाध्यक्षों पर दबाव डाला जा रहा है;	साकची स्थित अस्पताल के पूराने भवनों को तोड़कर नये सुसज्जित भवनों का निमार्ण कर अस्पताल का संचालन किया जाना है। पूराने अस्पताल साकची का निमार्ण कार्य प्रगति पर है, फलस्वरूप मरीज हित में मात्र कुछ विभागों के ओ0पी0डी0 का संचालन अस्थायी एवं प्रयोगात्मक रूप से नवनिर्मित अस्पताल, मानगो में किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नए एम0जी0एम0 अस्पताल में जल की व्यवस्था नहीं करने और भूमिगत जल का नियम विरुद्ध उपयोग करने के लिए दोषियों को चिन्हित करने और इन पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	भूमिगत जल के उपयोग से संबंधित नियम की प्रति जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची से विभागीय पत्र सं0–86(9) दिनांक–25.02.2025 के द्वारा प्रतिवेदन की मॉग की गई है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–06/2025 88 (9) स्वा0 राँची, दिनांक–27.02.2025

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–442 वि0स0, दिनांक– 19.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/25

सरकार के अवर सचिव।